नागरिक अधिकार पत्र
खान एवं भू–विज्ञान विभाग

<u>उद्देश्य</u>

विभाग का मुख्य उद्देश्य राज्य में उपलब्ध खनिज सम्पदा का विनियमन एवं विकास करना है, ताकि समाज का प्रत्येक वर्ग इन खनिजों से लाभान्वित हो सके। खनिजों की खोज एवं वैज्ञानिक तरीके से दोहन करने हेतु परामर्श एवं प्रोत्साहित करने का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है।

<u>प्रतिबद्धता व नियमावली</u>

खनिजों को मुख्य तौर पर निम्न दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है।

1. प्रधान खनिज :– धात्विक एवं औद्योगिक खनिज जैसे एसबेस्टोज, बेराइट, केलसाइट, चायना क्ले, कोयला, तांबा, सोना, जस्ता, सीसा, चांदी, सोपस्टोन आदि।
2. अप्रधान खनिज :– निर्माण साम्रगी में उपयुक्त खनिज जैसे मारबल, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, ईंट मिट्टी, बजरी, मेसेनरी स्टोन आदि एवं बेन्टोनाइट, साल्टपीटर आदि।

   खनिजों के विनियमन एवं विकास हेतु भारत सरकार के खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के अन्तर्गत प्रधान खनिजों के लिए खनिज रियायत नियमावली – 1960 और अप्रधान खनिजों के लिए राज्य में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियमावली–1986 प्रभावी है। विभिन्न प्रमुख खनिज यथा मारबल, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन व ईट मिट्टी के खनन हेतु अलग से नीतियॉ बनाई जाकर प्रवृत्त है। इन नियमावलियों तथा नीतियों के अन्तर्गत राज्य में प्रत्येक कार्य के लिए विभिन्न स्तर के अधिकारियों को अधिकार प्रदत्त किये गये हैं।

<u>पारदर्शिता व जवाबदेही</u>

विभाग की नियमावली एवं प्रक्रिया में सरलता, स्पष्टता, खान आवंटन की उचित प्रक्रिया खुलापन तथा वांछित जानकारी सहज रूप से उपलब्ध है और यह सभी जानकारियॉ उपलब्ध कराई भी जाती है। इन्हीं नियमों के तहत प्रभारी अधिकारियों के कार्य दायित्व निश्चित किए गए है। प्रत्येक वृत में सर्तकता काएक कार्यालय है और किसी भी अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील/रिवीजन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने का भी नियमों में स्पष्ट पआवधान है, ताकि कार्य प्रणाली में जवाबदेही रहे और हर एक व्यक्ति को न्याय मिल सके।

<u>कार्य प्रणाली एवं सूचना का अधिकार</u>

विभाग द्वारा समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्य मानदण्ड का निर्धारण एवं दायित्व वहन के लिए उनकी प्रतिबद्धता निश्चित की गई है। समय की मांग के अनुसार समय–समय पर नियमों/प्रक्रियाओं में परिवर्तन किया जाता है, ताकि खान एवं खनिजों काविकास सुनिश्चित हो सकें।

राज्य में लगभग सभी जिला मुख्यालयों पर विभाग के कार्यालय हैं, जिनके प्रभारी तकनीकी अधिकारी हैं। नियमावली या प्रक्रिया में समय समय पर हुए संशोधनों की पूरी जानकारी विभाग के इन कार्यालयों से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है। इन कार्यालयों में नियमों के अन्तर्गत विभिन्न पंजिकाए, मास्टर मेप आदि संधारित किये जाते हैं, जिनका निरीक्षण निर्धारित देय शुल्क पर किया जाकर, आवश्यक जानकारियॉ प्राप्त की जा सकती हैं।

<u>खनिजों की खोज</u>

विभाग की भूविज्ञान शाखा वैज्ञानिक तरीके से विभिन्न खनिजों की खोज में कार्यरत है और प्रति वर्ष विभिन्न खनिजों की उपलब्धता के संबंध में तकनीकी प्रतिवेदन विभाग द्वारा तैयार किये जाते हैं, जो किसी भी व्यक्ति द्वारा चाहे जाने परनिर्धारित शुल्क के आधार परउपलब्ध कराए जाते हैं। निजी क्षेत्रों में खनिजों की खोज हेतु हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से रिकोनेसेन्स अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जाते हैं तथा पारम्परिक तरीके से खनिजों की जानकारी व खोज के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमियों को स्वीकृत किये जाते हैं।

<u>खनिज दोहन</u>

विभिन्न खनिजों के दोहन हेतु खनन अधिकार आवंटन का कार्य विभाग की खनन शाखा द्वारा राज्य नीति एवं नियमों के अन्तर्गत किया जाता है। रिकोनेसेन्स परमिट, पूर्वेक्षण या खनन करने के अधिकार निम्न प्रकार से, नियमों में वर्णित प्रक्रिया के तहत प्रदान किये जाते हैं:–

1. रिकोनेसेन्स परमिट
2. पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र
3. खनन पट्टा
4. क्वारी लाइसेन्स

5. अल्पावधि अनुमति प्रमाण पत्र

प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना करते हुए नियमों के अन्तर्गत विभिन्न खनिजों के लिएआवेदन पत्र संबंधित सहायक खनि अभियन्ता/खनि अभियंता कार्यालयों में प्रस्तुत किये जाते है। विभाग में प्राप्त आवेदन पत्रों का ब्यौरा, विभाग में संधारित पंजिकाएँ और मास्टरमेप का निरीक्षण निर्धारित शुल्क जमा करवाकर कराया जाता है।

खनिज व खानों पर देय शुल्क

विभाग द्वारा प्रत्येक खान पर निश्चित वार्षिक न्यूनतम राशि बतौर स्थिरभाटक या क्वारी लाइसेन्स फीस ली जाती है और खान से प्रत्येक टन खनिज निर्गमन पर रायल्टी ली जाती है। स्थिर भाटक व रायल्टी, नियमावली के परिशिष्ठ के अनुसार निर्धारित है तथा इसी दर से विभाग द्वारा वसूल की जाती है। ये दरें विभाग के किसी भी कार्यालय से मालूम की जा सकती है। प्रधान खनिजों के स्थिरभाटक व रायल्टी की दरें केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित होती है एवं अप्रधान खनिजों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। यह दरें 3 साल की अवधि के पश्चात् बढाई जाने का प्रावधान है।

रायल्टी संग्रहण ठेके

खनिज बजरी साधारणतया नदियों के किनारों पर उपलब्ध रहती है और इसका उत्खनन करने की आवश्यकता नहीं है। अतः खनिज बजरी की रायल्टी का संग्रहण साधारणतया ठेकेदारों से कराया जाता है। इसी प्रकार क्वारी लाइसेन्स क्षेत्रों से रायल्टी तथा खनन पट्टा क्षेत्रों से स्थिरभाटक के अलावा अधिक अधिशुल्क विभाग द्वारा लिया जाता है, जिसका संग्रहण भी विभागीय नाकों या ठेकेदारों द्वारा कराया जाता है। इन सभी ठेकों के लिए विभाग द्वारा अखबारों में विज्ञप्ति जारी की जाती है और खुली नीलामी या टेण्डर के माध्यम से यह ठेके प्राप्त उच्चतम बोली पर विभाग द्वारा स्वीकृत किये जाते है।

कार्यालय और क्षेत्राधिकार

किसी भी प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए, आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए एवं दिन प्रतिदिन के विभिन्न विभागीय कार्यों के लिए राज्य में खनन शाखा के कार्यालय और भूविज्ञान शाखा के कार्यालय कार्यरत है, जिनका क्षेत्राधिकार समय समय पर जारी अधिसूचना के अनुरूप रहता है।

सतर्कता कार्यालय और क्षेत्राधिकार

राज्य में कुल पॉच सतर्कता कार्यालय कार्यरत हैं, जिनका क्षेत्राधिकार समय–समय पर जारी अधिसूचना के अनुरूप रहता है। ये कार्यालय जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर एवं कोटा मुख्यालय पर हैं जिनमें एक खनिज अभियंता स्तर का अधिकारी, सहयोगी स्टाफ एवं वाहन आदि उपलब्ध कराये गये हैं। इनके कार्य पर प्रभावी नियंत्रण हेतु अधीक्षण खनि अभियंता (सतर्कता) है, जिसका मुख्यालय जयपुर में रखा गया है।

खनिज सांख्यिकी

राजस्थान राज्य के जिलेवार खनिज उत्पादन, विक्रय मूल्य, खानों की संख्या, राजस्व आदि के आंकडे निदेशालय में सुचारू रूप से संधारित किये जाते हैं और निर्धारित शुल्क पर उपलब्ध सूचनाएँ विभाग द्वारा प्रदान कराई जाती है।

प्रकाशन शाखा

निदेशालय में वरिष्ठ भूवैज्ञानिक के सुपरविजन में प्रकाशन शाखा कार्यरत है और त्रैमासिक राजस्थान मिनरल बुलेटिन का प्रकाशन विभाग द्वारा किया जाता है। इस बुलेटिन में समय समय पर राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/विभाग द्वारा जारी आदेश एवं अधिसूचनाएं भी प्रकाशित की जाती है। इस बुलेटिन का मूल्य रूपये 35.00 मात्र है और रूपये 120.00 प्रकाशन शाखा में जमा कराकर वार्षिक सदस्यता और रूपयें 600.00 जमा कराकर पंचवर्षीय सदस्यता ली जा सकती है। विभागीय प्रकाशन शाखा द्वारा त्रैमासिक बुलेटिन के अतिरिक्त विभिन्नखनिजों की उपलब्धता व उपयोग संबंधी प्रकाशन भी समय समय पर किये जाते हैं जो उचित मूल्य पर विक्रय किये जाते हैं ताकि इच्छुक व्यक्ति खनिजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।

विजन 2020

विभाग द्वारा दिनांक 15 अगस्त 1999 को ''विजन 2020'' जारी किया गया है जिसमें अगले 20 वर्षों में खनिज विकास की दिशा एवं खनिज क्षेत्र की संभावित उपलब्धियों को दर्शाया गया है। इसमें खनिजों की खोज, संभावित उत्पादन, खनिज विकास हेतु किये जाने वाले प्रयास इत्यादि पर विस्तृत चर्चा की गई है। इसकी कीमत मात्र रूपये 250.00 रखी गई है। यह पुस्तक विभाग की प्रकाशन शाखा अथवा क्षेत्रीय विभागीय अधिकारियों से देय शुल्क जमा कराकर प्राप्त की जा सकती है।

<u>वेबसाईट व इ–मेल</u>

विभाग की वेबसाइट भी शीघ्र होने जा रही है और इसे अद्यतन रखने के प्रयास भी किये जावेंगे। विभाग के संबंधित समस्त जानकारी इस वेबसाईट www.dmg-raj.com पर निःशुल्क उपलब्ध होगी। इससे अधिक जानकारी के लिए विभाग के इ–मेल पते परपत्र भेजकर ई–मेल से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ई–मेल का पता dmgraj@jp1.dot.net.in है।

<u>वन क्षेत्र में आने वाली खानों का निस्तारण</u>

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रभावी होने के बाद जो खानें वन भूमि में पड़ती है, उनके प्रस्ताव राज्य के खान एवं वन विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण के बाद, समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए भारत सरकार को प्रेषित किये जाते है। इस कार्य के लिए खान विभाग में अतिरिक्त निदेशक खान स्तर का अधिकारी नोडल अधिकारी है और प्रत्येक मामले की समुचित प्रगति नोडल अधिकारी से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है।

<u>अन्य सुविधाएँ</u>

विभाग में सुव्यवस्थित प्रयोगशाला, भूभौतिकी यंत्र और छिद्रण मशीनें है। निर्धारित देय शुल्क पर कोई भी उद्यमी इन सुविधाओं का उपयोग कर सकता है। निर्धारित दरों की विस्तृत जानकारी विभाग के किसी भी निकटस्थ कार्यालय से या निदेशालय से की जा सकती है।

<u>राज्य स्तरीय खनिज परामर्शदात्री परिषद्</u>

राज्य में खनिज परामर्शदात्री परिषद् का गठन अगस्त, 1994 में किया गया, इसमें कुल 42 सदस्य थे, समिति का पुनर्गठन राज्य स्तर पर किया जा रहा है। यह समिति खनिज क्षेत्र से संबंधित विभिन्न समस्याओं, खनिज क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने एवं खनिज विकास हेतु महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए उत्तरदायी है, जिसके आधार परसमय–समय पर राज्य के खनिज नियमों एवं नीति में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

<u>वृत स्तर पर प्रस्तावित समस्या निवारण समितियॉ</u>

राज्य में अधीक्षण खनि अभियंता स्तर के 7 वृत कार्यालय है। इस स्तर पर समस्या निवारण हेतु समितियां गठित करने का निर्णय विभाग द्वारा लिया जा चुका है। वृत स्तर पर इन समितियों में निम्न सदस्य प्रस्तावित हैः–

1. संबंधित वृत के अधीक्षण खनि अभियंता
2. संबंधित संभागीय आयुक्त द्वारा मनोनीत अधिकारी, जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर से नीचे के स्तर का न हो।
3. क्षेत्र के दो जन प्रतिनिधि विधायक अथवा प्रधान, इसमें कम से कम एक विधायक होगा।
4. क्षेत्र के खनन उद्यमियों से संबंधित दो या तीन प्रतिनिधि।
5. वन विभाग का प्रतिनिधि जो उप वन संरक्षक के स्तर से कम का न हो।

खनिज रियायत कार्यों से संबंधित नागरिक अधिकार, निर्धारित शुल्क एवं कार्य निष्पादन समय सीमा संबंधी सूचना

क्रसं.	*कार्य*	*निर्धारित शुल्क*	*निर्धारित अवधि*	*निस्तारण स्तर*
1.	खनन पट्टा/क्वारी लाइसेन्स की आवेदन पत्र पंजिका/स्वीकृत खनन पट्टा/क्वारी लाइसेन्स की पंजिकाओं का निरीक्षण	समय समय परराज्य सरकार/ निदेशालय द्वारा जारी निर्देशानुसार	उसी कार्य दिवस में	खनि अभियन्ता/ सहायक खनि अभियंता के क्षेत्रीय कार्यालय जहां यह संधारित किये जाते हैं।
2.	खनन पट्टा/क्वारी लाइसेन्स के मास्टर प्लान का निरीक्षण	समय समय परराज्य सरकार/ निदेशालय द्वारा जारी निर्देशानुसार	उसी कार्य दिवस में	खनि अभियन्ता/ सहायक खनि अभियंता के क्षेत्रीय कार्यालय जहां यह संधारित किये जाते हैं।

3.	खनन पट्टों के संबंध में 'कोई बकाया नहीं' प्रमाण पत्र के आवेदन पत्र का निस्तारण	निःशुल्क	तीन दिन में	संबंधित खनि अभियन्ता/ सहायक खनि अभियंताको निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाये।
4.	वर्क्स ठेकेदार के संबंध में 'कोई बकाया नहीं' प्रमाण पत्र के आवेदन पत्र का निस्तारण	निःशुल्क	एक माह	संबंधित खनि अभियन्ता/ सहायक खनि अभियंता को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाये।
5.	वर्क्स ठेकेदारका अधिक शुल्क निर्धारण	निःशुल्क	एक माह	निर्माण विभाग के वर्क आर्डर के संबंध में उपयोग में आये विभिन्न खनिजों की कुल मात्रा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद एक माह में संबंधित क्षेत्रीय खनि अभियन्ता/ सहायक खनि अभियंता द्वारा किया जा सकेगा।
6.	अधिशुल्क निर्धारण के बाद वर्क्स ठेकेदार की लौटाने योग्य राशि का क्लेम प्राप्त होने पर उसका निस्तारण	निःशुल्क	2 माह ख.अ./ स.ख.अ. 1 माह निदेशक 1 माह शासन	सक्षमता के आधार पर निस्तारण
7.	स्वीकृत खनन पट्टों का सीमांकन	अप्रधान खनिज के प्रकरण में, अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 में निर्धारित फीस जमा कराने पर, प्रधान खनिज के प्रकरण में, प्रारंभिक व्यय राशि में से समायोजन योग्य	अप्रधान खनिज के प्रकरण में, फीस जमा होने के 45 दिवस में, प्रधान खनिज के प्रकरण में, मांग की जाने की तिथि के 3 माह में	संबंधित खनि अभियन्ता/ सहायक खनि अभियन्ता
8.	भूवैज्ञानिकी मानचित्र एवं अन्य मानचित्र जो विभाग द्वारा तैयार किये गये है उनकी प्रति प्राप्त करना।	समय समय पर राज्य सरकार/ निदेशालय द्वारा जारी निर्देशानुसार	तीन दिन	अधीक्षण भूवैज्ञानिक (मु.) निदेशालय एवं अतिरिक्त निदेशक भूविज्ञान (संबंधित जोन)
9.	संविदा निष्पादन	सीमांकन, राजस्व विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र देय स्टाम्प आदि औपचारिकताएं विभाग में पूर्ण करने के बाद।	अप्रधान खनिज में तीन व प्रधान खनिज में छः माह की अवधि में	संबंधित कार्यालय में समस्त नियमानुसार औपचारिकताएँ पूर्ण करने पर संविदा निष्पादन की तिथि खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता द्वारा निर्धारित कर सूचना दी जावेगी।
10.	पट्टाधारियों को रवन्ना पुस्तकें जारी करना।	समय समय पर पुस्तकों की निर्धारित कीमत व अग्रिम रायल्टी या स्थिर भाटक के भुगतान पर	उसी कार्य दिवस को	संबंधित खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियन्ता

11.	क्वारी लाइसेन्स की स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन पत्र के आवेदक को लाइसेन्स जारी करना	नियमावली में निर्धारित शुल्क	1. लॉटरी निकलने के बाद दो माह के अन्दर 2. जहॉ डेलीनियेशन नक्शें नहीं है वहां 4 माह में	संबंधित खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियन्ता
12.	अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 63 में अल्पावधि अनुज्ञा पत्र (ईंट–मिट्टी व मारबल कटर के विशेष अनुज्ञा पत्र सहित) जारी करना	नियमावली में निर्धारित शुल्क	तीन दिन	संबंधित खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियन्ता
13.	अधिशुल्क निर्धारण अंतिम किया जाना	निःशुल्क	रिकार्ड प्राप्ति के 3 माह में	पट्टाधारी निर्धारित प्रारूप में वांछित रिकार्ड खनि अभियन्ता/ सहायक खनि अभियन्ता को प्रस्तुत करेंगे।
14.	अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 40 में बेस्ट जजमेंट निर्धारण के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण	निःशुल्क	प्रार्थना पत्र प्राप्ति के एक माह में	संबंधित खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियन्ता
15.	पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत परिशिष्ट में निर्धारित तादाद से अधिक खनिज के निर्गमन की स्वीकृति बाबत प्रार्थना पत्र	निःशुल्क	प्रार्थना पत्र प्राप्ति के एक माह में निदेशक को प्रस्ताव भेजे जावे	राज्य सरकार के स्तर से एवं प्रस्ताव प्राप्त होने के एक माह की अवधि में
16.	प्रधान खनिज के खनन पट्टे में ज्ञात नये खनिज को सम्मिलित करने के बाबत् प्रार्थना पत्र का निस्तारण	निःशुल्क	तीन माह में	खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियन्ता
17.	प्रतिभूति की राशि के संदर्भ में नई राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर पुरानी राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र लौटाने बाबत।	निःशुल्क	तीन दिवस में	संबंधित खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियन्ता
18.	खनन पट्टे व क्वारी लाइसेन्स में टूटे हुए पिलर्स के बिन्दु पुनः स्थापित करने या पुनः सीमांकन कराने के प्रार्थना–पत्र कानिस्तारण	अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 19(5) के अनुसार निर्धारित शुल्क	शुल्क जमा होने के दो माह में	संबंधित खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियन्ता
19.	सीमा विवाद के मामलों में पुनः सीमांकन करा विवाद का निपटारा	अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 19(5) के अनुसार निर्धारित शुल्क	तीन माह	संबंधित खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियन्ता या अन्य अधिकारी जो विशेष रूप से निर्देशित हो।

20.	पट्टाधारी / क्वारी लाइसेन्सधारी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के पक्ष में नामान्तरण की स्वीकृति हेतुप्राप्त आवेदन पत्र का निस्तारण	निःशुल्क	समस्त वांछित दस्तावेजों के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के 3 माह में	संबंधित खनि अभियंता / सहायक खनि अभियन्ता
21.	नामान्तरण की स्वीकृति बाद संविदा निष्पादन	नियमानुसार देय स्टाम्प	एक माह	संबंधित खनि अभियंता / सहायक खनि अभियन्ता
22.	पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र / खनन पट्टे / क्वारी लाइसेन्स हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कररसीदप्राप्त करना।	नियमानुसार निर्धारित आवेदन शुल्क	उसी दिन	संबंधित खनि अभियंता / सहायक खनि अभियन्ता
23.	विभिन्न सक्षम अधिकारियों द्वारा पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र / खनन पट्टे आवेदन पत्रों का निपटारा	निर्धारित शुल्क व वांछित दस्तावेजों सहित प्राप्त पूर्ण आवेदन पत्रों का निस्तारण	खनि अभियंता / सहायक खनि अभियंता स्तर से 4 माह में, अधीक्षण खनि अभियन्ता स्तर से 45 दिवस में, अति. निदेशक (खान) स्तर से 45 दिवस में निदेशालय से 45 दिवस में एवं शासन स्तर से 45 दिवस में	राज्य सरकार / निदेशक अथवा अतिरिक्त निदेशक (खान) जिनके अधिकार में निस्तारण निहित है आवेदक द्वारा प्रमाणित राजस्वरिकार्ड व वन विभाग से वांछित जानकारी विभाग को उपलब्ध करावें। आवेदन पत्रों का निपटारा सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाना है।
24.	रायल्टी संग्रहण ठेके की एवं अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके हेतु प्राप्त बोली पर अंतिम निर्णय नियमानुसार	नियमानुसार प्रथम किश्त, प्रतिभूति, जमानत हैसियत आदि व औपचारिकताएँ बोलीदाता को नियमानुसार पूर्ण करनी होगी।	नीलामी या टेण्डर प्राप्त होने की तिथि से एक माह	खनि अभियन्ता / सहायक खनि अभियन्तायदि सक्षम अधिकारी है तो एक माह में अन्यथा दो माह में।
25.	खनन पट्टे के लेप्स होने के बाद पुनः खनन के लिए अधिकृत किया जाने हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण	नियमानुसार निर्धारित शुल्क पर	आवेदन प्राप्ति के एक माह में	खनि अभियन्ता / सहायक खनि अभियन्ता यदि सक्षम अधिकारी है तो एक माह में अन्यथा दो माह में।
26.	विभाग में राजस्व मद में जमा राशि या प्रतिभूति लौटाने बाबत प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण	निःशुल्क	2 माह	खनि अभियन्ता / सहायक खनि अभियन्तायदि सक्षम अधिकारी है तो दो माह में अन्यथा चार माह में।
27.	खनिज की उपलब्धता, उपयोगिता व खनिज आधारित उद्योग के बारे में आम तौर पर उपयोगी मौखिक सूचना व सलाह देना।	निःशुल्क	उसी दिन	भूविज्ञान शाखा का संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय
28.	खनिज विश्लेषण (रसायनिक व अन्य) एवं अन्य कार्य	समय समय पर राज्य सरकार / निदेशालय द्वारा जारी निर्देशानुसार	15 दिन	रसायनिक एवं सिरेमिक अभियन्ता एवं वरिष्ठ रसायनज्ञ, निदेशालय

29.	लीज क्षेत्र में खनिज पूर्वेक्षण/ छिद्रण कार्य का सम्पादन	समय समय पर राज्य सरकार/ निदेशालय द्वारा जारी निर्देशानुसार	अवधि कार्य की तादाद पर निर्भर	अतिरिक्त निदेशक (भूविज्ञान) (मु.), उदयपुर
30.	मिनरल म्यूजियम, पुस्तकालय में प्रवेश व उपलब्ध सामग्री से ज्ञानवर्धन	निःशुल्क	उसी दिन	अतिरिक्त निदेशक (भूविज्ञान) (मु.), उदयपुर
31.	प्रक्रिया/नियमों की मौखिक जानकारी	निःशुल्क	उसी दिन	संबंधित किसी भी कार्यालय से
32.	खनिजों की उपलब्धता के संबंध में विभाग द्वारा तैयार प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त करना	समय समय पर राज्य सरकार/ निदेशालय द्वारा जारी निर्देशानुसार	तीन दिन	अतिरिक्त निदेशक भूविज्ञान स्तर के किसी भी कार्यालय से यदि विभाग ने प्रतिवेदन तैयार किया है।
33.	जिलेवार खनिज उत्पादन, खानों की संख्या, राजस्व आदि आंकडे संबंधित प्रकाशन	समय समय पर राज्य सरकार/ निदेशालय द्वारा जारी निर्देशानुसार	तीन दिन	सांख्यिकी अधिकारी/खनिज अर्थशास्त्री निदेशालय
34.	त्रैमासिक राजस्थान मिनरल बुलेटिन प्राप्त करना	रू.35/— प्रत्येक रू. 120/— वार्षिक रू. 600/— पंचवर्षीय एवं समय समय पर जो संशोधन हो उसके अनुसार	उसी दिन	वरिष्ठ भूवैज्ञानिक (प्रकाशन) निदेशालय
35.	विजय 2020 की प्रति प्राप्त करना	रू.250/— प्रत्येक	उसी दिन	वरिष्ठ भूवैज्ञानिक (प्रकाशन) निदेशालय
36.	प्रयोगशाला सुविधाऍं उपयोग में लेने की दरें प्राप्त करना	निःशुल्क	उसी दिन	रसायनिक एवं सिरेमिक अभियन्ता एवं वरिष्ठ रसायनज्ञ, निदेशालय
37.	भू भौतिक यंत्रों के उपयोग, छिद्रण कार्यों आदि की दरें प्राप्त करना	निःशुल्क	उसी दिन	अतिरिक्त निदेशक भूविज्ञान कार्यालय
38.	राज्य के खान एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण बाद भारत सरकार को प्रेषित वन डायवर्शन आदि प्रस्तावों की प्रगति की जानकारी	निःशुल्क	तीन दिन	नोडल अधिकारी अतिरिक्त निदेशक (खान) जयपुर
39.	अपने खनन क्षेत्र का मानचित्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र	समय समय पर राज्य सरकार/ निदेशालय द्वारा जारी निर्देशानुसार	तीन दिन	संबंधित खनि अभियन्ता/ सहायक खनि अभियन्ता
40.	आवेदक स्वयं को उसके संबंध में जारी आदेश/पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति उपलब्ध कराना	समय समय पर राज्य सरकार/ निदेशालय द्वारा जारी निर्देशानुसार	तीन दिन	संबंधित अधिकारी जहां से आदेश जारी हुआ है।
41.	स्वयं के खनन क्षेत्र से संबंधित सीमांकन रिपोर्ट/फील्ड बुक की प्रति	समय समय पर राज्य सरकार/ निदेशालय द्वारा जारी निर्देशानुसार	तीन दिन	संबंधित खनि अभियन्ता/ सहायक खनि अभियन्ता

42.	अपील/रिवीजन के संबंधित आदेशों की प्रमाणित प्रति	नियमानुसार शुल्क पर	तीन दिन	संबंधित अधिकारी
43.	संविदा निष्पादन हेतु विभाग द्वारा तैयार किये जाने वाले मानचित्र की फीस जमा कराने हेतु	समय समय पर राज्य सरकार/ निदेशालय द्वारा जारी निर्देशानुसार	उसी दिन	संबंधित खनि अभियन्ता/ सहायक खनि अभियन्ता

संबंधित अधिकारियों द्वारा उपरोक्त कार्य निर्धारित सीमा में नहीं होने पर निम्न प्रकार शिकायत की जा सकती है

खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियंता की शिकायत	अधीक्षण खनि अभियन्ता को
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक एवं अधीक्षण भूवैज्ञानिक की शिकायत	टतिरिक्त निदेशक (भूविज्ञान) को
अधीक्षण खनि अभियन्ता की शिकायत	टतिरिक्त निदेशक (खान) को
अतिरिक्त निदेशक खान की शिकायत	निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग को
अतिरिक्त निदेशक भूविज्ञान	निदेशक खान एवं भूविज्ञान विभाग को
निदेशालय खान विभाग की शिकायत	शासन सचिव खान विभाग जयपुर को

टिप्पणीः—

1. जिन मामलों में कार्य निपटाने के अधिकार खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियंता को नहीं है, वह निर्धारित समयावधि से उन मामलों में प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को प्रेषित करेंगे एवं सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य निस्तारण बिना देरी किए उचित समयावधि में कर दिया जावेगा।
2. उपरोक्त कार्य निर्धारित समय सीमा में नहीं होने पर उच्चाधिकारी को शिकायत की जा सकती है। उच्चाधिकारी प्राप्त शिकायतों को रजिस्टर में दर्ज कर शिकायतों का निस्तारण 15 दिवस में करेंगे तथा संबंधित शिकायतकर्ता को लिखित में सूचित करेंगे। शिकायत अनुसार संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कारण बताओं नोटिस जारी किया जावेगा औरयदि कारण संतोषप्रद नहीं पाए गये तो नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी।
3. उपरोक्त तालिकाओं में जो अवधि कार्य निस्तारण हेतु दी गई है उसी अवधि में कार्य संपादन किया जावेगा, यह अपेक्षा की जाती है, परन्तु सक्षम न्यायालय के द्वारा कोई आदेश यदि कार्य को प्रभावित करता है तो यह अवधि बढी हुई मानी जावेगी। इसी प्रकार विभाग द्वारा नोटिस देने के उपरान्त भी यदि प्रार्थी/आवेदक नियमानुसार वांछित शुल्क/दस्तावेज विभाग को प्रस्तुत करने में विलंब करता है या असफल रहता है तो उसकी पूर्ति होने पर ही उपरोक्तानुसार अवधि की गणना की जावेगी।

विभाग के महत्वपूर्ण टेलीफोन नम्बर

क्रसं.	कार्यालय	टेलीफोन नं.
1.	खनिज राज्य मंत्री, जयपुर	380589
2.	शासन सचिव खान, जयपुर	381137
3.	उप शासन सचिव खान, जयपुर	381117
4.	निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, निदेशालय, उदयपुर	413346
5.	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, उदयपुर	414072
6.	मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, उदयपुर	413116
7.	अतिरिक्त निदेशक (भूविज्ञान) निदेशालय, उदयपुर	413417
8.	अतिरिक्त निदेशक (खान) निदेशालय, उदयपुर	413031
9.	अतिरिक्त निदेशक (खान) (पर्यावरण), निदेशालय, उदयपुर	522548
10.	अतिरिक्त निदेशक (खान) जयपुर संभाग	383965
11.	अतिरिक्त निदेशक (भूविज्ञान) जयपुर संभाग	381934
12.	अधीक्षण भूवैज्ञानिक, जयपुर	314895
13.	अधीक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर	383236
14.	अधीक्षण खनि अभियन्ता, (सतर्कता), जयपुर	382870
15.	खनि अभियन्ता, जयपुर	383404
16.	खनि अभियन्ता, (सतर्कता), जयपुर	382870
17.	खनि अभियन्ता, (रिट), जयपुर	382870
18.	खनि अभियन्ता, अजमेर	424695

19.	वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, अजमेर	424695
20.	खनि अभियन्ता, सीकर	59183
21.	सहायक खनि अभियन्ता, टोंक	42640
22.	सहायक खनि अभियन्ता, कोटपूतली	22681
23.	अधीक्षण खनि अभियन्ता/खनि अभि. (सत.) भरतपुर	22421
24.	खनि अभियन्ता, भरतपुर	22128
25.	खनि अभियन्ता, धौलपुर	20762
26.	खनि अभियन्ता, करौली	20202
27.	खनि अभियन्ता, अलवर	20475
28.	वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, अलवर	23899
29.	अधीक्षण खनि अभियन्ता, कोटा	420279
30.	खनि अभियन्ता, कोटा	322145
31.	खनि अभियन्ता, (सतर्कता) कोटा	327023
32.	वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, कोटा	325110
33.	खनि अभियन्ता, बून्दी प्रथम	443632
34.	खनि अभियन्ता, बून्दी द्वितीय	442484
35.	खनि अभियन्ता, रामगंजमण्डी	20406
36.	सहायक खनि अभियन्ता, झालावाड	32414
37.	टतिरिक्त निदेशक (खान), जोधपुर संभाग	511656
38.	टतिरिक्त निदेशक (भूविज्ञान), जोधपुर संभाग	510208
39.	अधीक्षण भूवैज्ञानिक, जोधपुर	510640
40.	अधीक्षण खनि अभियन्ता/खनि अभियन्ता, जोधपुर	510746
41.	खनि अभियन्ता (सर्तकता)/(रिट), जोधपुर	511656
42.	वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, बाडमेर	20302
43.	खनि अभियन्ता, सिरोही	32370
44.	सहायक खनि अभियन्ता, सोजत सिटी	22202
45.	सहायक खनि अभियन्ता, बालेसर	42216
46.	सहायक खनि अभियन्ता, बाडमेर	20302
47.	सहायक खनि अभियन्ता, जालोर	32212
48.	अधीक्षण भूवैज्ञानिक, बीकानेर	544346
49.	अधीक्षष खनि अभियन्ता, बीकानेर	545197
50.	खनि अभियन्ता, बीकानेर	201837
51.	खनि अभियन्ता, नागौर	40038
52.	सहायक खनि अभियन्ता, जैसलमेर	52556
53.	सहायक खनि अभियन्ता, गंगानगर	421699
54.	सहायक खनि अभियन्ता, गोटन	64666
55.	अधीक्षण भूवैज्ञानिक, जैसलमेर	51660
56.	अतिरिक्त निदेशक (खान), उदयपुर संभाग	584880
57.	अतिरिक्त निदेशक (भूविज्ञान), उदयपुर संभाग	413417
58.	अधीक्षण खनि अभियन्ता, उदयपुर	583393
59.	अधीक्षण भूवैज्ञानिक, उदयपुर/अधीक्षण भूवैज्ञानिक (फास्फेट)	583123
60.	अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक एवं छिद्रण), उदयपुर	583542
61.	खनि अभियन्ता, उदयपुर	484551
62.	खनि अभियन्ता, (सर्तकता), उदयपुर	583393
63.	यांत्रिक अभियन्ता, उदयपुर	583857
64.	खनि अभियन्ता, राजसमंद–I	20190
65.	खनि अभियन्ता, राजसमंद–II	22345
66.	वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, राजसमंद	21634
67.	खनि अभियन्ता, आमेट	––
68.	वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, सिरोही	32542
69.	वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, बांसवाडा	43377
70.	सहायक खनि अभियन्ता, डूंगरपुर	32408

71.	सहायक खनि अभियन्ता, बांसवाडा	43771
72.	सहायक खनि अभियन्ता, ऋषभदेव	30244
73.	सहायक खनि अभियन्ता, सलूंबर	2006
74.	अधीक्षण खनि अभियन्ता, भीलवाडा	40247
75.	खनि अभियन्ता, भीलवाडा	40262
76.	खनि अभियन्ता, चित्तोडगढ	40970
77.	खनि अभियन्ता, बिजोलिया	36023
78.	सहायक खनि अभियन्ता, निम्बाहेडा	20259

——